भारतीय स्टेट बैंक
केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग, कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई
(फोन: 022-2282 0427; ईमेल: crpd@sbi.co.in)

एसबीआई और पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों (e-ABs) के सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों की संविदा आधार पर नियुक्ति

विज्ञापन सं. CRPD/RS/2024-25/33

आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण: दिनांक 18.02.2025 से 15.03.2025 तक

भारतीय स्टेट बैंक निम्नलिखित पद पर स्टेट बैंक और पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों) के सेवानिवृत्त अधिकारियों की **संविदा आधार** पर नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers** में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें.

1. उम्मीदवारों से अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले, वे यह सुनिश्चित करें कि वे पात्रता की तिथि पर उक्त पद के लिए दिए गए योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं.
2. **उम्मीदवारों को सभी अपेक्षित दस्तावेज़ (नियतकार्य का ब्यौरा, पहचान का प्रमाण, आयु का प्रमाण आदि), अवश्य अपलोड करें, ऐसा न करने पर शॉर्टलिस्टिंग/ साक्षात्कार के लिए, उनके आवेदन/ उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा.**
3. उम्मीदवार की उम्मीदवारी/शॉर्टलिस्टिंग अनंतिम होगी और उम्मीदवार के साक्षात्कार (यदि बुलाया जाए तो) के लिए रिपोर्ट किए जाने पर संपूर्ण ब्यौरे/दस्तावेज़ों का मूल दस्तावेज़ों के साथ संतोषजनक सत्यापन किए जाने के अधीन होगा.
4. यदि किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और यदि वह पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसे साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जाएगी.
5. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवार स्वयं अपने खर्च पर उपस्थित होंगे.
6. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers** को नियमित रुप से, विवरणों एवं नई जानकारी (शॉर्टलिस्ट किए गए/चयनित उम्मीदवारों की सूची सहित) हेतु देखें. **कॉल (पत्र/सूचना), जहां आवश्यक हो, केवल ईमेल द्वारा भेजा जाएगा (कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी).**
7. **सभी संशोधन/शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) केवल बैंक की करियर वेबसाइटों पर ही अपलोड किए जाएंगे.**
8. यदि अंतिम मेरिट लिस्ट (कट-ऑफ बिंदु पर समान अंक) में एक से अधिक उम्मीदवारों के कट-ऑफ अंकों के रूप में एकसमान अंक आते हैं, तो ऐसे उम्मीदवारों को मेरिट में उनकी आयु के अनुसार अवरोही क्रम में स्थान दिया जाएगा.
9. इस कार्यालय को आवेदन एवं अन्य दस्तावेज़ों की कागजी प्रतियाँ न भेजें.
10. समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में सूचीबद्ध सेवानिवृत्त अधिकारियों की मौजूदा प्रतीक्षा सूची इस प्रकाशन के साथ रद्द हो जाएगी. मौजूदा प्रतीक्षासूचीरत अधिकारी आवेदन कर सकते हैं यदि वे अन्यथा पात्र हैं.

क. पद/रिक्तियां/पात्रता/तैनाती स्थान/वेतनमान इत्यादि का विवरण:

क्रं.	मापदंड	विवरण
1	पद का नाम	समवर्ती लेखा परीक्षक
2	विभाग	आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी), सीसी, हैदराबाद
3	रिक्त स्थानों की संख्या	1194 (अनुलग्नक-I के अनुसार विस्तृत विवरण)
4	तैनाती का स्थान	आवेदित मंडल के सीएओ के अधीन
5	शैक्षणिक योग्यता/ अपेक्षित अनुभव –	**शैक्षणिक योग्यता/ अपेक्षित अनुभव–** **शिक्षा:** लागू नहीं **अनुभव (अधिमान्य):** सेवानिवृत्त कार्मिकों के पास अधिमानतः ऋण/लेखापरीक्षा/विदेशी मुद्रा पृष्ठभूमि के क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए.
6	नई नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड (18.02.2025 तक)	i. अधिकारी 60 वर्ष की आयु होने पर ही बैंक सेवा से सेवानिवृत्त होना चाहिए. स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त/ त्यागपत्र/ निलंबित या सेवानिवृत्ति की आयु से पहले ही बैंक छोड़ने वाले अधिकारी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं हैं. तथापि, दिनांक 21.06.2022 के परिपत्र संख्या CDO/P&HRD-PM/20/2022-23 के अनुसार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख को 58 वर्ष की आयु और सेवा/ पेंशनयोग्य सेवा के 30 वर्ष (दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए) पूरे करने वाले अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर बैंक में नियुक्ति/ सूचीबद्धता के लिए पात्र होंगे. ii. नियुक्ति न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी. इस प्रकार, नई नियुक्ति के लिए विज्ञापन की तिथि यानी 18.02.2025 को अधिकतम आयु 63 वर्ष होनी चाहिए. iii. अधिकारी के कार्यनिष्पादन का अच्छा ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए और प्रणाली एवं प्रक्रियाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए. iv. सेवाकाल के दौरान अधिकारी/कर्मचारी की ईमानदारी पिछले कार्यकाल के दौरान संदिग्ध नहीं होनी चाहिए. v. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व के पांच वर्षों के दौरान उस पर कोई जुर्माना/ पैनल्टी (सेंश्योर या उच्चतर) नहीं लगाई गई हो. vi. कर्मचारी के विरुद्ध सीबीआइ या अन्य किसी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के मामले लंबित नहीं होने चाहिए. vii. सेवानिवृत्त कर्मचारियों का स्वास्थ्य अच्छा हों किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित न हों. viii. **एमएमजीएस-III, एसएमजीएस-IV/V और टीईजीएस-VI** के रूप में सेवानिवृत्त हुए एसबीआई और इसके सहयोगी बैंकों (e-ABs) के अधिकारियों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा. ix. सेवानिवृत्त अधिकारी नियुक्ति अवधि के दौरान किसी प्रशासनिक/ वित्तीय अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे. x. सेवानिवृत अधिकारी नियुक्ति अवधि के दौरान चिकित्सा या किसी अन्य लाभ की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा. हालांकि, वे बैंक के पेंशनभोगी के रूप में उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाते रहेंगे. xi. बैंक में उनकी संविदा की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारी किसी अन्य संगठन से कोई कार्य स्वीकार नहीं करेंगे. xii. ऊपर उल्लिखित आरक्षित रिक्त-पदों सहित रिक्त-पदों की संख्या अनंतिम है और यह बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बदल सकती है. xiii. ऐसे उम्मीदवार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं लेकिन 'क्रीमी लेयर' से आते हैं, वे ओबीसी आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे. उन्हें आवेदन में अपनी श्रेणी 'सामान्य' के रूप में दर्शानी चाहिए. xiv. अ.जा./अ.ज.जा./ओबीसी उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र जमा करना होगा. xv. ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण माँगने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा जमा करवानी होगी कि वह आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को क्रीमी लेयर से नहीं है. ऐसे उम्मीदवारों कों उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर 'नॉन क्रीमी लेयर' अनुच्छेद वाला ओबीसी प्रमाण-पत्र जो 01.04.2024 से साक्षात्कार की तिथि के दौरान जारी किया गया हो, जमा करना होगा. xvi. इंगित अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी. xvii. सेवानिवृत्त कार्मिकों को अधिमानतः लेखापरीक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए. xviii. आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक सेवानिवृत्त होना चाहिए. आवेदक, यदि पहले से ही बैंक के साथ किसी अन्य संविदात्मक समझौते पर काम कर रहा है, तो उसे समवर्ती लेखा परीक्षक के पद की पेशकश और उसकी स्वीकृति पर उसके लिए त्यागपत्र देना होगा. xix. अच्छी ऋण/लेखापरीक्षा/विदेशी मुद्रा पृष्ठभूमि वाले और टीईजीएस-VI, एसएमजीएस-V, एसएमजीएस-IV और एमएमजीएस-III वेतनमान में सेवानिवृत्त हुए अच्छे पिछले कार्य-निष्पादन रिकॉर्ड वाले सेवानिवृत्त अधिकारी को अधिमानतः उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां शाखा/संगठन स्थित है. यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी अपने आवासीय स्थान पर या अपने वर्तमान आवासीय केंद्र के अलावा किसी अन्य स्थान पर पद के लिए आवेदन कर रहा है, तो रहने, परिवहन आदि की लागत उसे वहन करनी होगी. xx. एक मंडल में आवेदन करने के लिए सेवानिवृत्त अधिकारी से केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा और यदि कई आवेदन प्राप्त होते हैं तो केवल पहला आवेदन स्वीकार किया जाएगा और अन्य आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे.
7	सेवा नियम	नियुक्त किए जाने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी स्टेट बैंक अधिकारी सेवा नियमों या अन्य किसी सेवा शर्त के अधीन नहीं होंगे लेकिन नियुक्ति प्रस्ताव की शर्तों से बाध्य होंगे.

<table>
<tr><th>क्रं.</th><th>मापदंड</th><th>विवरण</th></tr>
<tr><td>8</td><td>पीएफ/बोनस/पेंशन/बकाया</td><td>बैंक में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर होगी और इसे पीएफ/पेंशन/बोनस और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के प्रयोजनार्थ सेवा में विस्तार के रूप में नहीं माना जाएगा.</td></tr>
<tr><td>9</td><td>संविदा की समाप्ति</td><td>i. किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिन की सूचना या इसके बदले एक माह की कुल परिलब्धियों के भुगतान पर संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा.
ii. इसके अलावा, यदि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना 7 दिन से अधिक अवधि के लिए ऐसा पूर्व अधिकारी कार्य से अनुपस्थित रहता है तो बैंक के पास तत्काल प्रभाव की सूचना देकर 30 दिन की परिलब्धियों की वसूली के साथ संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है.</td></tr>
<tr><td>10</td><td>संविदा पर नियुक्ति के लिए करार का निष्पादन</td><td>कार्य शुरू करने से पहले सेवानिवृत्त कार्मिक को स्टाम्प पर सेवा स्तर करार (एसएलए) निष्पादित करना होगा.
बैंक में उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान यह संभावना है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण या गोपनीय स्वरूप की जानकारी हासिल हो जाए. वे उनकी कार्य अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे जो यह जानने/ लेने के लिए प्राधिकृत नहीं है. प्रयोक्ता विभाग एक प्रणाली कार्यान्वित कर बैंक के ग्राहकों, दस्तावेज़ों, रिकॉर्ड और आस्तियों के संबंध में जानकारी की गोपनीयता को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेगा.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>आयकर/टीडीएस</td><td>आयकर अधिनियम की धारा 192 के तहत आयकर काटा जाएगा. पारिश्रमिक पर किसी भी अन्य देनदारी की कटौती आयकर नियमों या समय–समय पर किसी अन्य नियम में उल्लिखित प्रचलित दरों के अनुसार स्रोत पर की जाएगी.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>नई नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया</td><td>चयन शॉर्टलिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा.
शॉर्टलिस्टिंग: न्यूनतम योग्यता और अनुभव होने मात्र से उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं होगा. बैंक द्वारा गठित शार्टलिस्टिंग समिति शार्टलिस्टिंग मानदंड निर्धारित करेगी और उसके बाद बैंक द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे. साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाए जाने का बैंक का निर्णय अंतिम होगा. इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा.
साक्षात्कार: साक्षात्कार 100 अंकों का होगा. साक्षात्कार में अर्हक अंक बैंक द्वारा तय किए जाएंगे. इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा.
मेरिट सूची: अंतिम चयन के लिए मेरिट सूची केवल साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की अवरोही क्रम में तैयार की जाएगी, बशर्ते कि उम्मीदवार न्यूनतम अर्हता अंक हासिल करें. यदि एक से अधिक उम्मीदवार एक समान निर्दिष्ट अंक हासिल करते हैं तो ऐसे उम्मीदवारों की उनकी आयु के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट रेंक प्रदान की जाएगी.
नई नियुक्ति के लिए:
i. शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा और इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा.
ii. साक्षात्कार प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों कोई टीए/डीए अदा नहीं किया जाएगा.
iii. चयनित उम्मीदवारों को स्टाम्पित वचनपत्र और एसएलए प्रस्तुत करने के बाद कार्य के लिए रिपोर्ट करने की सूचना दी जाएगी. यदि निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी को निरस्त समझा जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा.</td></tr>
<tr><td>13</td><td>अवकाश की संख्या</td><td>सेवानिवृत्त अधिकारी एक वर्ष की नियुक्ति के दौरान 30 दिन की अवकाश के लिए पात्र होंगे जिसे बैंक/ उस प्राधिकारी के अनुमोदन से नियुक्ति की अवधि के दौरान ले सकेंगे जिसको वे रिपोर्ट करेंगे. अवकाश की गणना के लिए बीच में पड़ने वाले रविवार/ अवकाश को शामिल नहीं किया जाएगा. बैंक के पास प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के मद्देनजर अवकाश के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के विवेकाधिकार का पूर्ण अधिकार होगा. नियुक्ति की अवधि के दौरान न ली गई अवकाश सामान्यतथा समाप्त हो जाएगी. तथापि, यदि अवकाश प्रशासनिक आधार पर अस्वीकार की जाती है और संविदा अवधि में नहीं ली जाती है तो इसका मौद्रिक क्षतिपूर्ति पैकेज घटक की दर से संविदा अवधि समाप्त होने पर नकदीकरण किया जा सकता है. एक वर्ष से कम या अधिक की अवधि के लिए अवकाश की पात्रता आनुपातिक आधार पर निर्धारित की जाएगी.
अवकाश के लिए लिखित रूप में/ई–मेल के जरिए उचित रूप से आवेदन किया जाना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद इसका लाभ उठाया जाना चाहिए. यदि सेवानिवृत्त अधिकारी पात्र अवकाश से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो निम्नलिखित दंडात्मक धाराएं लगाई जाएंगी:
• इसे वेतन की हानि माना जाएगा और अनुपस्थिति की अवधि के लिए पारिश्रमिक की वसूली की जाएगी.
• यदि वेतन हानि की अवधि 15 दिनों से अधिक हो जाती है या अनुमत/प्राप्त वेतन हानि के अवसरों की संख्या 2 बार से अधिक हो जाती है, तो बैंक नियुक्ति करार के अनुसार 30 दिनों की सेवा समापन नोटिस देकर सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर सकता है.</td></tr>
<tr><td>14</td><td>नियुक्ति की अवधि</td><td>नियुक्ति संतोषजनक कार्य–निष्पादन के अधीन न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी.
बैंक के साथ सेवा संविदा की अवधि के दौरान, सेवानिवृत्त अधिकारी किसी अन्य संगठन के साथ कोई अन्य कार्यभार नहीं संभालेंगे क्योंकि यह नियोजन पूर्णकालिक कार्यों के लिए है. यदि बैंक यह पाता है कि पूर्व अधिकारी की सेवाएं सक्षम प्राधिकारी के संतोष के अनुरूप नहीं हैं तो बैंक पूर्व अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर सकता है और बिना कोई कारण बताए यह निर्णय अंतिम होगा.</td></tr>
<tr><td>15</td><td>पारिश्रमिक</td><td>बिना किसी अनुलाभ के और पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मासिक एकमुश्त मुआवजा (पूर्णकालिक कार्य के लिए) नीचे वर्णित है.
<table>
<tr><th>क्रं.</th><th>सेवानिवृत्त ग्रेड</th><th>अधिकतम अनुमत मासिक मुआवजा (नियत) (रुपये)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>एमएमजीएस-III</td><td>45,000/-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>एसएमजीएस-IV</td><td>50,000/-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>एसएमजीएस-V</td><td>65,000/-</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>टीईजीएस-VI</td><td>80,000/-</td></tr>
</table>
क्लस्टर लेखापरीक्षा (साप्ताहिक लेखापरीक्षा के लिए 2 या अधिक शाखाएँ) के लिए: करेंसी चेस्ट सत्यापन/ विदेशी मुद्रा लेनदेन/ एफएसएलओ आदि की साप्ताहिक लेखापरीक्षा, पारिश्रमिक 2000/- रुपये प्रति विज़िट/ प्रति शाखा होगा. बैंक से जुड़े सेवानिवृत्त कार्मिकों को एचआरएमएस में एक विशिष्ट आईडी प्रदान की जाएगी.
क) उपरोक्त मुआवजा राशि उनकी पेंशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है.
ख) बैंक द्वारा इस अवधि के दौरान न तो कोई आवास/ फर्नीचर प्रदान किया जाएगा और न ही कोई अन्य लाभ/ अनुलाभ/ भविष्य निधि/ पेंशन निधि और ग्रेच्यूटी की सदस्यता प्रदान की जाएगी तथा न ही कोई अन्य दावा स्वीकार किया जाएगा.
ग) लागू मौजूदा आयकर नियमों में वर्णित दरों के अनुसार स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी.</td></tr>
<tr><td>16</td><td>भूमिका एवं दायित्व</td><td>सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवा का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:
क) सभी ऋण दस्तावेज़ों का सत्यापन करना और मंजूरी की सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना और समय–समय पर बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुवर्तन करना.
ख) जमा खातों का सत्यापन करना और समय–समय पर बैंक द्वारा जारी जमा खातों से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना.
ग) विप्रेषण, बिल लेनदेन, विदेशी मुद्रा, नकद लेनदेन जैसे अन्य क्षेत्रों और बाहरी अनुपालन सहित बैंक में अन्य सभी दैनंदिन कार्यकलापों का सत्यापन करना.
उपरोक्त के साथ–साथ आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग बैंक के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर लेखापरीक्षा का दायरा तय करेगा.</td></tr>
<tr><td>17</td><td>अनुशासन आचरण /
समय पालन</td><td>सेवानिवृत्त अधिकारी से अपेक्षा है कि वह आईएडी के लिए लागू मानंदडों के अनुसार अनुशासित रहेगा और समय का पालन करेगा, साथ ही विभाग में कार्य के दौरान उचित आचरण करेगा.</td></tr>
<tr><td>18</td><td>नियुक्ति/सेवा–समापन प्राधिकारी</td><td>संबंधित महाप्रबंधक (सीईओ)</td></tr>
<tr><td>19</td><td>रिपोर्टिंग</td><td>नियोजित समवर्ती लेखा परीक्षक संबंधित सीईओ के महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) की देखरेख में शाखाओं/संगठनों में काम करेगा.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>तैनाती</td><td>क) सेवानिवृत्त अधिकारियों का चयन कर उन्हें एक पूल में रखा जाएगा. पूर्णकालिक कार्यों के लिए रिक्तियां सृजित होने पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। पूल परिणाम घोषित होने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि या नया विज्ञापन जारी होने तक, जो भी पहले हो, वैध होगा.
ख) सेवानिवृत्त अधिकारियों को केवल उपलब्ध रिक्तियों पर ही तैनात किया जाएगा. सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा चुने गए केंद्र के संदर्भ में पसंदीदा विकल्प की पेशकश को स्वीकार न करने की स्थिति में, उन्हें योग्यता सूची में सबसे नीचे ले जाया जाएगा. केंद्र के संदर्भ में पसंदीदा विकल्प न होने की स्थिति में, उन्हें उसी योग्यता क्रम में जारी रखा जाएगा.</td></tr>
<tr><td>21</td><td>कार्य समय</td><td>सेवानिवृत्त अधिकारी सेवारत अधिकारियों पर लागू या आवश्यकतानुसार सामान्य कार्य अवधि का पालन करेंगे.</td></tr>
<tr><td>22</td><td>मुख्यालय</td><td>संबंधित सीईओ</td></tr>
</table>

ख. साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर:

साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर/ सूचना ईमेल द्वारा भेजी जाएगी या बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. **कोई कागजी प्रति नहीं भेजी जाएगी.**

ग. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवारों की सक्रिय **ईमेल आईडी** होनी चाहिए जिसे परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रखा जाए. इससे उन्हें अपना कॉल लेटर/साक्षात्कार संबंधी सूचना आदि ईमेल के माध्यम से प्राप्त करने में सहायता होगी.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिशानिर्देश:

i. उम्मीदवार एसबीआई की वेबसाइट **https://bank.sbi/careers** या **https://www.sbi.co.in/careers** पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.

ii. ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम से उत्पन्न ऑनलाइन आवेदन प्रपत्रों का प्रिन्ट आउट लें.

iii. उम्मीदवार सर्वप्रथम अपना नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करें. ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उम्मीदवार 'दस्तावेज़ कैसे अपलोड करें' के अंतर्गत निदिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं कर देता/देती. उम्मीदवार आवेदन को ध्यानपूर्वक पढ़ें. आवेदन पूरी तरह से भरने के बाद ही उम्मीदवार इसे सबमिट करें. यदि एक बार में उम्मीदवार आवेदन नहीं भर पाता है, तो वह पहले से प्रविष्ट जानकारी को सेव कर सकता/सकती है. जब जानकारी/आवेदन को सेव किया जाएगा तो एक अनंतिम पंजीकरण नंबर और पासवर्ड सिस्टम द्वारा बन कर आ जाएगा और यह स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा. **उम्मीदवार इस पंजीकरण नंबर और पासवर्ड को अपने पास लिख कर रखे लें.** वे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए आवेदन को फिर से खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो विवरण संपादित कर सकते हैं. कृपया ध्यान दें कि सहेजी गई जानकारी को संपादित करने की यह सुविधा केवल तीन बार उपलब्ध होगी. एक बार आवेदन पूरी तरह से भर जाने के बाद, उम्मीदवार को इसे सबमिट करना चाहिए.

घ. दस्तावेज़ों को अपलोड कैसे करें:

अ. अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ों का विवरण:

i. पिछले 10 वर्षों के अनुभव का संक्षिप्त विवरण (असाइनमेंट के अनुसार विवरण) (पीडीएफ)
ii. पहचान का प्रमाण (पीडीएफ)
iii. जन्म तिथि का प्रमाण (पीडीएफ)
iv. पीपीओ की प्रति
v. नवीनतम फोटोग्राफ
vi. हस्ताक्षर
vii. ईडब्ल्यूएस/जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
viii. कोई अन्य दस्तावेज़ (यदि उपलब्ध हो)

ब. फोटोग्राफ फाइल प्रकार/आकार:

i. फोटोग्राफ नवीनतम पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो होनी चाहिए.
ii. फाइल का आकार 20 केबी-50 केबी और डायमेंशन 200X230 पिक्सल (अधिमानत:) तक होना चाहिए.
iii. यह सुनिश्चित कर लें कि फोटो रंगीन है, और सफेद या हल्के रंग की पृष्ठभूमि में लिया गया हो.
iv. शांत चेहरे से सीधे कैमरे की तरफ देखे.
v. फोटो यदि धूप में ली गई हो तो सूरज आपके पीछे रहे या आप छाया में हों ताकि आपकी नज़र में तिरछापन न आए या फिर कोई छाया न पड़े.
vi. यदि आपको फ्लैश का प्रयोग करना होता है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसमें 'रेड आई' नहीं है.
vii. यदि आप चश्मा लगाते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई परछाई नहीं पड़ रही है और आपकी आंखें साफ देखी जा सकती हैं.
viii. टोपी, हैट और गहरे रंग का चश्मा लगाया जाना स्वीकार्य नहीं है. धार्मिक प्रतीक पगड़ी आदि बांध सकते हैं लेकिन इससे आपका चेहरा न ढकने पाए.
ix. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किया गया चित्र 50 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 50 केबी से अधिक का है, तो स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई रिजोल्यूशन, कलर संख्या आदि के लिए स्कैनर की सेटिंग बदले.

स. हस्ताक्षर फाइल का प्रकार/आकार:

i. आवेदक सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करें.
ii. हस्ताक्षर आवेदक स्वयं करे कोई दूसरा हस्ताक्षर न करें.
iii. कॉल लेटर तथा जहां आवश्यक होंगे वहां हस्ताक्षर का उपयोग किया जाएगा.
iv. फाइल का आकार 10 केबी-20 केबी के बीच का हो और डायमेंशन 140X60 पिक्सल (अधिमानत:) हो.
v. यह सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए चित्र का आकार 20 केबी से अधिक नहीं है.
vi. अंग्रेज़ी के केपिटल लेटर में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे.

द. दस्तावेज़ की फाइल का प्रकार/आकार:

i. सभी दस्तावेज़ पीडीएफ प्रारूप में हों.
ii. दस्तावेज़ के पृष्ठ का आकार ए4 का हो.
iii. फाइल का आकार 500 केबी से अधिक नहीं हो.
iv. दस्तावेज़ को यदि स्कैन किया जा रहा है तो आप यह सुनिश्चित करें कि इसे पीडीएफ के रूप में सेव कर लिया गया है और इसका आकार पीडीएफ के तौर पर 500 केबी से अधिक का नहीं है. फाइल का आकार यदि 500 केबी से अधिक का है तो स्कैनर की सेटिंग की प्रक्रिया के दौरान डीपीआई का रिज़ोल्यूंशन, कलर की संख्या आदि समायोजित करें. यह सुनिश्चित कर लें कि अपलोड किए गए दस्तावेज़ साफ और पढ़े जाने योग्य हैं.

य. फोटो/हस्ताक्षर/दस्तावेज़ों को स्कैन करने हेतु दिशा-निर्देश:

i. स्कैनर के रिज़ोल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स पर इन्च) पर रखें.
ii. कलर को ट्रू कलर पर सेट करें.
iii. फोटो/हस्ताक्षर के किनारे तक क्रॉप करके इमेज को स्कैन करें फिर इमेज को अंतिम आकार (जैसा ऊपर बताया गया है) देने के लिए क्रॉप करने हेतु अपलोड एडिटर का प्रयोग करें.
iv. फोटो/हस्ताक्षर की फाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में हो (यानी फाइल का नाम image01.jpg या image01.jpeg दिखाई दे)
v. इमेज के आयाम फोल्डर/फाइल की लिस्टिंग कर जांचे जा सकते हैं या फिर फाइल इमेज के आयकॅन पर माउस को घुमाकर इसे जांचा जा सकता है
vi. जो उम्मीदवार एमएस विन्डोज़/एमएस ऑफिस का प्रयोग करते हैं, वे आसानी से फोटो और हस्ताक्षर जेपीईजी फार्मेट में पा सकते हैं जो कि क्रमश: 50 केबी और 20 केबी से अधिक न होगी, इसके लिए एमएस पेन्ट या एमएस ऑफिस पिक्चर मैनेजर का प्रयोग करना होगा. स्कैन किया गया फोटो या हस्ताक्षर किसी भी फार्मेट सें जेपीजी (jpg) फार्मेट में सेव किए जा सकते हैं. इसके लिए फाइल मेन्यु में 'सेव ऐज़' के विकल्प का प्रयोग करना होगा. इमेज मेन्यू द्वारा क्रॉप और रिसाइज़ (बिंदु 1 और 2 ऊपर देखें जो कि पिक्सल आकार के लिए दिया हुआ है) विकल्प चुनकर फाइल के आकार को 50 केबी (फोटो) और 20 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है. इसी तरह से अन्य फोटो एडीटर में भी विकल्प उपलब्ध हैं.
vii. ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय उम्मीदवार को एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि वह अपने फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड कर सके.

र. दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया:

i. प्रत्येक दस्तावेज़ को अपलोड करने हेतु अलग-अलग लिंक दिए गए है. ''अपलोड'' का संबंधित लिंक क्लिक करें.
ii. ब्राउज़ करके उस जगह को चुनें जहां कि जेपीजी या जेपीईजी, पीडीएफ फाइल को सेव किया गया है.
iii. फाइल पर क्लिक कर इसे चुनें और अपलोड का बटन क्लिक करें.
iv. आवेदन सबमिट करने से पहले दस्तावेज़ अपलोड हो गया है और सही तरह से खुल रहा है, इस बात की पुष्टि करने के लिए प्रिव्यू क्लिक करें. यदि फाइल का आकार और प्रारूप बताए अनुसार नहीं है तो इसमें त्रुटि का संदेश आएगा.
v. दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के बाद/प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद संशोधित/परिवर्तित नहीं हो सकेंगे.
vi. **ऑनलाइन आवेदन फार्म में फोटो/हस्ताक्षर अपलोड कर दिए जाने के बाद उम्मीदवार जांच लें कि फोटो साफ हैं और ये ठीक तरह से अपलोड हुए हैं.** फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से यदि नहीं दिखें तो उम्मीदवार अपने आवेदन को संशोधित कर सकता/सकती है और अपने फोटो या हस्ताक्षर आवेदन फार्म प्रस्तुत किए जाने से पहले फिर से अपलोड कर सकता/सकती है. **फोटो पर चेहरा या हस्ताक्षर यदि स्पष्ट नहीं हैं तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता हैं.**

सामान्य दिशानिर्देश:–

ङ. सामान्य जानकारी:

i. पद के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह पद के लिए उपर्युक्त वर्णित योग्यता और अन्य मानदंडों को निर्दिष्ट तारीख को पूरा करता/करती है और कि उसके द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा सभी प्रकार से सही है.

ii. उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख से पहले समय रहते ही ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें और वे अंतिम तारीख का इंतज़ार न करते रहें क्योंकि बाद में हो सकता है कि वेबसाइट को लॉग ऑन करने में डिसकनेक्शन/अक्षमता/फेलियर की स्थिति बन जाए इन्टरनेट पर हैवी लोड या फिर वेबसाइट जाम होने के कारण ऐसा हो जाए. यदि पूर्वोक्त कारणों से यदि एसबीआई के नियंत्रण से बाहर के किसी भी कारण से यदि उम्मीदवार अपना आवेदन समय रहते नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एसबीआई किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा.

iii. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, उन उम्मीदवारों को शामिल करके जिनके लिए किसी आरक्षण का वर्णन नहीं किया गया है, अनारक्षित श्रेणी के लिए घोषित रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते वे अनारक्षित श्रेणी के लिए लागू पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों.

iv. नियुक्ति की किसी भी अवस्था में यदि ऐसा पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो और/या यह कि उसने गलत/झूठी जानकारी दी है या उसने कोई महत्वपूर्ण जानकारी (जानकारियां) छिपाई हैं तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा. इनमें से यदि कोई बात उसके नियुक्ति के बाद भी पता चलती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं.

v. आवेदक को सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदन पूरी तरह से निर्धारित प्रारूप के अनुसार है और सही एवं पूरी तरह से भरा गया है.

vi. चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त पाए जाने के अधीन है.

vii. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे संप्रेषण जैसे कॉल लेटर/साक्षात्कार की तारीख की सूचना, आदि प्राप्त करने के लिए अपने ई–मेल को सक्रिय रखें.

viii. किसी पत्र के मिलने में विलंब होने या न मिलने के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी.

ix. चयन की दशा में, उम्मीदवार से अपेक्षा होगी कि वह नियोजन प्राप्त करते समय अपने नियोक्ता का उचित कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें. (यदि लागू हो)

x. पात्रता, साक्षात्कार अन्य परीक्षाएं और चयन प्रक्रिया संबंधी के सभी मामलों में बैंक के निर्णय अंतिम और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होंगे. इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया जाएगा.

xi. आवेदन में दी गई जानकारी बाद में गलत पाए जाने पर आवेदक पर दीवानी/फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है.

xii. पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करने मात्र से उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं है. बैंक के पास उम्मीदवार की योग्यता, उपयुक्तता, अनुभव आदि के संबंध में प्रारंभिक जांच/शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद उचित संख्या में ही उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार सुरक्षित है.

xiii. कई आवेदन होने की स्थिति में, अंतिम मान्य (भरा हुआ) आवेदन को ही रखा जाएगा. साक्षात्कार में एक पद के लिए एक उम्मीदवार द्वारा एकाधिक उपस्थिति को सरासरी तौर पर पूर्णत: अस्वीकृत कर दी जाएगी/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी.

xiv. इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में आए आवेदन के कारण किसी दावे या विवाद की दशा में कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई और मुंबई स्थित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों/फोरम पर ही की जा सकती हैं. किसी भी मुकदमे/विवाद की सुनवाई का एकल व एकमात्र अधिकार क्षेत्र मुंबई ही होगा.

xv. **बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी अवस्था में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दे.**

xvi. साक्षात्कार के समय, उम्मीदवार को उसके विरुध्द लंबित आपराधिक मामलों (यदि कोई हों) का विवरण देना आवश्यक होगा. बैंक अन्य बातों के साथ–साथ पुलिस रिकॉर्ड के सत्यापन सहित स्वतंत्र सत्यापन भी कर सकता है. बैंक ऐसे प्रकटीकरणों और/या सत्यापन के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.

किसी पूछताछ के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट (URL - **https://bank.sbi/careers/psq.htm?action=pquery** या **https://sbi.co.in/careers/psq.htm?action=pquery**) **पर उपलब्ध "CONTACT US" लिंक के माध्यम से हमसे संपर्क करें.**

मुंबई
दिनांक: 18.02.2025

मुद्रण की त्रुटियाँ यदि हों, तो उसके लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा.
किसी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में जारी विज्ञापन मान्य होगा.

महाप्रबंधक

अनुबंध-I

समवर्ती लेखा परीक्षकों के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारियों की मंडल–वार रिक्तियां इस प्रकार हैं:

रिक्तियां	चालू वर्ष						बैकलॉग			मंडल–वार कुल	कुल (चालू वर्ष+ बैकलॉग)					पीडब्ल्यूबीडी (समस्तरीय)			
मंडल	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	यूआर	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	यूआर	वीआई	एचआई	एलडी	डी एंड ई
अहमदाबाद	122	20	9	31	12	50	0	0	2	**124**	20	9	33	12	50	0	2	2	1
अमरावती	69	11	5	17	6	30	0	2	6	**77**	11	7	23	6	30	0	1	1	1
बेंगलुरु	42	6	3	10	4	19	0	0	7	**49**	6	3	17	4	19	0	1	1	0
भोपाल	68	11	5	17	6	29	0	0	2	**70**	11	5	19	6	29	0	1	1	1
भुवनेश्वर	44	7	3	11	4	19	0	0	6	**50**	7	3	17	4	19	0	1	1	0
चंडीगढ़	89	14	6	22	8	39	0	1	6	**96**	14	7	28	8	39	0	2	1	1
चेन्नई	80	13	6	20	8	33	0	1	7	**88**	13	7	27	8	33	0	2	1	1
गुवाहाटी	61	10	4	15	6	26	0	0	5	**66**	10	4	20	6	26	0	1	1	1
हैदराबाद	67	11	5	17	6	28	2	2	8	**79**	13	7	25	6	28	0	1	1	1
जयपुर	53	8	3	13	5	24	0	0	3	**56**	8	3	16	5	24	0	1	1	1
कोलकाता	60	9	4	15	6	26	0	0	3	**63**	9	4	18	6	26	0	1	1	1
लखनऊ	94	15	7	24	9	39	0	2	3	**99**	15	9	27	9	39	0	2	1	1
महाराष्ट्र	85	14	6	21	8	36	0	1	5	**91**	14	7	26	8	36	0	2	1	1
मुंबई मेट्रो	16	2	1	4	1	8	0	0	0	**16**	2	1	4	1	8	0	1	0	0
नई दिल्ली	63	10	4	16	6	27	1	1	3	**68**	11	5	19	6	27	0	1	1	1
पटना	48	7	3	12	4	22	1	0	1	**50**	8	3	13	4	22	0	1	1	0
तिरुवनंतपुरम	39	6	2	10	3	18	4	2	7	**52**	10	4	17	3	18	0	1	1	0
कुल –	**1100**	**174**	**76**	**275**	**102**	**473**	**8**	**12**	**74**	**1194**	**182**	**88**	**349**	**102**	**473**	**0**	**22**	**17**	**12**